ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 53-55

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

बाल अपराधियों के संदर्भ में पुलिस की भूमिका

सुरेन्द्र पाल सिंह

जी0एन0एन0 पी0जी0 कॉलेज, इरादत नगर, आगरा, सम्बद्ध डॉ0 भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उ0प्र0) भारत

Received-10.07.2022, Revised-16.07.2022, Accepted-22.07.2022 E-mail:sp373105@gmail.com

सारांशः – ***सामान्यतः पुलिस का कार्य समाज में नियमित अपराध संहिता लागू रखते हुए कानून व्यवस्था और सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना होता है जिसमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना अहम तत्व है और आचार–संहिता, निष्ठा, सौजन्यता, विश्वसनीयता, चारित्रिक गरिमा, जनसेवक का परिपालन करना मुख्य दायित्व होता है। पुलिस सत्यमेव जयते का परिपालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करती है, जो वर्तमान संदर्भों में नितांत असत्य एवं "हास्यापद" प्रतीत होता है।***

कुंजीभूत शब्द– अपराध संहिता, कानून व्यवस्था, सामाजिक सुधार, आचार संहिता, निष्ठा, सौजन्यता, चारित्रिक गरिमा।

पुलिस उपचार से पूर्व निरोध के प्रयास करती है ताकि अपराधियों तथा अपराधियों की संख्या में कमी आवे। साथ ही बालकों के विशेष संदर्भ में–

1. जो बालक असुरक्षा की अनुभूति करते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है।
2. परिस्थितिवश बालकों में उप जी उद्धेगात्मक तथा हिंसात्मक प्रवृत्तियों को दबाने के लिए सर्वप्रथम उन्हें विश्वास में लेकर समझाने बुझाने का भरसक प्रयास कर सामान्य वातावरण तैयार करने की यथासंभव कोशिश करती है।
3. चूँकि समाज का वातावरण तथा विषम परिस्थितियाँ ही अपराधों को जन्म देती है, अतः वातावरण को परिवर्तित करने के लिए बाल सुधार संस्थाओं तक संरक्षण तथा सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे बालकों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित चाइल्ड सर्विस 1098 की त्वरित मदद देती है, जो एक पुलिस हेल्पलाइन है।

इस हेल्पलाइन पर कॉल करने पर पुलिस वाहन सहित बाल अपराध करते पकड़ें जाने वाले स्थान पर पहुंचकर पकड़े गए बालकों को एकांत स्थल पर ले जाकर समझाते बुझाते हुए गहन पूछताछ कर उनका केस स्टडी कर उनकी यथासंभव मदद करती है।

बाल अपराध की रोकथाम सुधार हेतु विभिन्न सुधारवादी संस्थाएं और परामर्श केंद्र भारत में बालअपराध की रोकथाम और बाल अपराधियों के सुधार के लिए प्रशासन स्तर पर उनके महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, साथी बाल सुधार हेतु विभिन्न कानून भी बनाए गए हैं इतना ही नहीं विभिन्न गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन (NGO) भी राष्ट्रीय तथा प्रांतीय स्तरों पर सेवा कार्य कर रहे हैं। आरंभिक अपराधियों ने औद्योगिकीकरण को बाल अपराध का प्रमुख कारण माना है। ऐतिहासिक दृष्टि से मुंबई में बाल सुधार यह तो सर्वप्रथम कदम है और यहां पर बूइस्ट ईसाई ने एक संस्था सन् 1883 में "The Devid saisum industrial school" स्थापित की जो बाल अपराध की रोकथाम व सुधार के लिए "अपराधी प्रक्रिया संहिता" की धारा 311(i) के तहत इस दिशा में सबसे प्रबल कदम है जो यह आदेश देती है कि 14 वर्ष से कम आयु के अपराधी वालों को बाल न्यायालय किसी संस्था में भेज सकता है जहां संरक्षण और सुरक्षा और अनुशासन के साथ बालक की रूचि के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण तथा दस्त कार्य सिखाए जाते हैं ताकि समाज में आसानी पूर्वक सामाजिक पुनर्वास कर सके। इस क्रम में समाज सेवी संगठनों और पुलिस संगठन के प्रयासों से बाल अपराधियों के प्रशिक्षण सुधार के लिए "एप्रेंटिस एक्ट" 1850(xix) पारित किया गया जिसका स्तर "अखिल भारतीय" था जो 10 से 18 वर्ष तक आयु के अनाथ आवारा और अपराधी किस्म के लड़के या लड़कियां दोनों को रोजगार करने हेतु प्रशिक्षण दे कर काम पर लगाए गए, जो कालान्तर में बाल अपराधियों के लिए एक श्रेष्ठ कदम सिद्ध हुआ। तदोपरांत सन 1897 में "The Indian reformatory school act"

सन् 1920 में"The children Act तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उ0प्र0 में सन् 1952 में ऐसे ही "बाल अधिनियम" बाल अपराधियों के सुधार हेतु पारित किये गये जिनमें भा0द0वि0 की धारा 83 (1) 7 वर्ष से अधिक आयु तथा 12 वर्ष से कम आयु के बाहर अपराधी दायित्व से मुक्त होंगे क्योंकि आयु के बालक बालिकाओं में सद/असद अच्छे/बुरे और उसके परिणाम का अभिज्ञान बोध विकसित नहीं हो पाता है स्पष्ट है कि 12 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष के बीच आयु के बालक बालिकाऐं अपराधी दायित्व के दोशी माने जाऐगें। इस बाहर अधिनियम के साथ ही अनेक "सुधारात्मक संस्थाऐं" बाल अपराधियों के सामुदायिक तथा सामाजिक पुनर्वास हेतु देखरेख संरक्षण उपचार एवं सुधार कार्य कर रहे हैं, जिनमें कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थाएं निम्न है –

1. **बोस्टर्ल स्कूल :** भारत में कुछ प्रमुख नगरों में बाल अपराधियों को सुधारार्थ सर्वप्रथम सन 1962 में बोस्टल स्कूल खोले गये, उनमें उत्तर प्रदेश के बरेली में बोस्टल स्कूल वर्तमान में बालबंदी गृह स्थापित किया गया जिसमें 15 वर्ष से 21 वर्ष

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

तक के बाल किशोर अपराधी रखे जाते हैं। जिन्हें यहां विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कुशल ट्रेनर्स प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, साथ ही बच्चों को मूल्यपरक नैतिक व रोजगार करने संबंधी शिक्षाऐं भी दी जाती हैं और इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि दिग्भ्रमित हुआ बालक यहाँ से निकलने के पश्चात् पड़ोस समाज में जाकर अच्छा व्यवहार तथा अच्छा आचरण कर सके। वर्तमान में इस संस्था का मूल ध्येय "अपराधी बालक" के चौमुखी व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करना है ताकि वह अपराधी प्रवृत्ति का परित्याग कर सार्वजनिक तौर पर जीवन यापन करें और जो इस प्रकार है।

a. उस संस्थान्तर्गत बालक के द्वारा किए गए अपराध पर ध्यान ना देकर बालक की अपराधी मनोवृत्ति के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
b. मूल्यपरक सदाचारी और "नैतिक शिक्षा" पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है।
c. इस संस्था में बालकों द्वारा किए अपराधों की प्रकृति के आधार पर बाल अपराधियों को वर्गीकृत कर के छोटे–छोटे समूह बनाकर रोजगार परक लघु उद्यम प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं तॉकि बालकों का सामाजिक पुर्नवासित किया जाना संभव हो सके।
d. इन वर्गीकृत समूहों में जो बालक बहुत अच्छे आचरण का होता है वह ग्रुप लीडर कहलाता है, जो शेष बच्चों को मूल्यपरक सद शिक्षा और नैतिक बनने के प्रति उन्हें प्रेरित तथा प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करता है, ऐसे लीड्र्स को शासन द्वारा बतौर प्रोत्साहन राशि ब्याज धनराषि रुपए 450 मासिक तक प्रदान की जाती है।

2. सुधारवादी स्कूल : यह सुधारवादी ऐसी शिक्षा संस्थाएं हैं। जिनमें 15 वर्ष तक की आयु के अपराधी बच्चे रखे जाते हैं और इन स्कूलों में उन बच्चों को रखा जाता है जिनमें सुधार हो सके ।

a. रात्रि के समय अलग अलग रखा जाए।
b. वायु प्रकाश शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और सफाई के विशेष प्रबंध के साथ संतुलित पौष्टिक भोजन और वस्त्रों की भी अच्छी व्यवस्था प्रदान की जाती है।
c. बालकों की अस्वस्थता तबीयत खराब तथा बीमार हो जाने की स्थिति में "निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था" संस्था की ओर से प्रदान की जाती है।
d. उस संस्थान्तर्गत पंजीकृत बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ–साथ संरक्षण जीविकोपार्जन संबंधी रोजगार परक कुशल प्रशिक्षण, टाइपिंग, काश्ठों पर करण बनाना, टर्निंग, सिलाई मशीन, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर आदि जो उनके सामाजिक पुनर्वास में सहायक होता है।

3. बाल संरक्षण गृह : बाल संरक्षण गृह नामक संस्था में 7 से 21 वर्ष तक की आयु के बाल अपराधी रखे जाते हैं जो बोर्स्टल स्कूलों की तर्ज पर सदन जैसी शैक्षणिक और आवासीय व्यवस्थाऐं सुविधाऐं प्रदान की जाती हैं। साथ ही :

a. पढ़ने में रुचि रखने वाले बच्चों को सदन में तथा सदन से बाहर पढ़ने की सुविधाऐं भी उचित देखरेख के साथ प्रदान करते हैं।
b. इनमें रह रहे बच्चों द्वारा सरकारी व्यवस्था पर एक कैण्टीन तथा भोजन व्यवस्था भी चलायी जाती है, जिसकी देख–रेख तथा प्रबन्धन सीनियर बच्चों के द्वारा ही स्वयं किया जाता है।
c. इसमें केवल उन्हीं बच्चों को आश्रय दिया जाता है जिनकी आयु 14 वर्ष से 19 वर्ष तक होती है और जिन्हें बाल न्यायालय से 1 वर्ष से कम की सजा नहीं दी गई होती ।
d. यहाँ तीन माह तक शासन द्वारा नियुक्त "कारावास का अधिकारी ही ऐसे बच्चों की सभी प्रकार के निगरानी कार्य करता है और यदि कोई बच्चा अच्छा आचरण ठीक व्यवहार नहीं करता है, तो फिर उसे सक्षम अधिकारी की संस्तुति पर सदन अधीक्षक द्वारा " केन्द्रीय कारागार" भेज दिया जाता है।

4. रिमाण्ड होम्स : भारत में इन शासकीय ग्रहों की स्थापना 1951 के तहत की गयी जिनमें बाल अपराधी की गिरफ्तारी के बाद किसी जेल में रखकर ऐसे बाल अपराधियों को आश्रय दिया जाता है जिनमें प्रकरणों की सुनवाई और जाँच पड़ताल हो रही होती है ताकि उन पर अन्य अपराधियों प्रवृत्ति के व्यक्तियों का प्रभाव न पड़ सके। रिमाण्ड का अर्थ वापिस भेजना बन्धन में रखना। इनमें बाल अपराधी परिवीक्षक के अधीन में रखा जाता है। उ0प्र0 में रिमाण्ड होम्स के स्थान पर बाल सुधार ग्रहों की स्थापना की गयी और सन् 1986 में The Juvenile Justice Act 1986 में पारित किया गया। इसके बाद Remand homes बन्द कर दिये गये है। अब जब बाल अपराधी गिरफ्तार हो जाता है, तो उसे विशेष ग्रह में रखा जाता है तथा इनमें बाल अपराधियों की व्यक्तिगत अध्ययन कर बाल अपराधियों के अपराध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण करते हुए निरीक्षण में रखा जाता है, लेकिन हत्या और लैंगिक अपराध जैसे अवांछनीय घिनौने और जघन्य अपराध करने वालों से बाल बन्दी ग्रहों

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

में ही रखा जाता है। विशेष ग्रहों में बाल अपराधी के व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा उसकी संगति और स्कूल एवं पास पड़ोस के वातावरण का सूक्ष्म बारीकी के साथ गहन अध्ययन किया जाता है, तॉकि "बाल न्यायालय" के समक्ष बाल अपराधी का स्पष्ट जीवन चित्र लेखा–जोखा रखा जा सके। इन ग्रहों में ऐसे बाल अपराधियों को जो संरक्षण चाहते हैं स्नेहमयी वातावरण में रखा जाता है जो इस प्रकार हैं–

a. बाल अपराधियों का शासकीय संरक्षण में पालन पोषण करना।
b. बाल अपराधियों का शासकीय संरक्षण में पालन पोषण करना।
c. शारीरिक और मानसिक दशाओं का अवलोकन करना।
d. पूर्व बाल अपराधी का पता लगाना एवं व्यवहार की जाँच पड़ताल करना।
e. बाल अपराधियों का तद्नुसार शिक्षा प्रदान करते हुए उपचार और सुधान करना।
f. बाल सुधार ग्रह से मुक्ति से पश्चात् बाल अपराधियों का दिशा निर्देशन करना और उन्हें ईमानदार, परिश्रमी और उपयोगी जीवन व्यतीत करने के योग्य, समर्थ नागरिक बनाना।

"Juvenile Courts are special courts for helping & protecting Juvenile Delinquents and Children who need protecting, i.e. special court called Juvenile courts deal with all proceedings with respect to children"[23].

-Sethna M.J. Society and the Criminal 1964, P. 382

*****